

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम

(जिला ई.-गवर्नेस सोसाईटी)

उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम की अध्यक्षता में दिनांक-15.09.2016 को अपराह्न 3:00 बजे ई.गवर्नेस सोसाईटी (DeGS) की बैठक आहूत की गई, जिसकी उपस्थिती एवं कार्यवाही निम्नवत् है :-

उपस्थिति :- पंजी में दर्ज है।

1. **UTL-** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Dist. UTL Coordinator आज दिनांक-15.09.2016 की बैठक में अनुपस्थित थे एवं दोनों CSC Managers के द्वारा यह बताया गया कि Field Verification के समय Dist. UTL Coordinator द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाता है तथा प्रतिवेदन मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इस क्रम में DeGS में निर्णय लिया गया कि Dist. UTL Coordinator को कारणप्रेक्षा जारी किया जाय।

(अनुपालन- Nodal officer / EDM)

2. **प्रज्ञा केन्द्र-** पूर्व की समीक्षा बैठक में अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा प्रज्ञा केन्द्रों को पंचायत भवन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, दिनांक-15.09.2016 की समीक्षा बैठक में अबतक मात्र 42 प्रज्ञा केन्द्र ही पंचायत भवन में स्थानांतरित किया गया है। CSC Managers को शख्त निदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के अन्दर इसे बढ़ाते हुए 117 प्रज्ञा केन्द्रों को पंचायत भवन में स्थानांतरित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- CSC Managers)

3. **लम्बित प्रमाण-पत्र-** पूर्व की समीक्षा के क्रम में पाया गया था कि लगभग 8000 प्रमाण पत्र प्रखण्ड / अंचल स्तर से लम्बित थे जो बढ़कर 10000 हो चुके हैं। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा RTGS के नोडल पदाधिकारी-सह-अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को निदेश दिया गया है की सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी को आवश्यक निदेश देते हुए Offline बने प्रमाण पत्र से Cross verification करते हुए त्वरित निषपादन हेतु आदेश निर्गत करें तथा अपिलीय पदाधिकारी को ससमय प्रगति प्रतिवेदन से उपलब्ध करायेगे।